रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249412
CG-DL-E-13102023-249412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4335] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945
No. 4335] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4506(अ).— मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 14 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 भारतीय मध्यकता परिषद् की संरचना हेतु उपबंध करती है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3 का खंड (ण) "सदस्य" पद को परिभाषित करता है, जिससे परिषद् का कोई पूर्णकालिक या अल्पकालिक सदस्य अभिप्रेत है तथा उसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तों के संबंध में नियम विहित करने का उपबंध करने के लिए है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) और धारा 51 की उपधारा (2) का खंड (ख) सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों के संबंध में नियम विहित करने का उपबंध करने के लिए है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन बनाए जा रहे नियम केवल अल्पकालिक सदस्यों को लागू होंगे और पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में भत्ते उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन बनाए जा रहे नियमों के अंतर्गत होंगे ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन भारतीय मध्यकता परिषद् के अल्पकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों हेतु नियमों को अधिसूचित करने में तब तक भ्रम और कठिनाई कारित कर सकते हैं, जब तक ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''अल्पकालिक सदस्य'' शब्द न रख दिए जाएं ;

और, उक्त अधिनियम की दसवीं अनुसूची उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) के संशोधनों का उपबंध करने के लिए है ;

और, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 37 यह उपबंध करने के लिए है कि, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, पक्षकारों द्वारा आवेदन पर, मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवाद को निर्दिष्ट करेगा ;

और, मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 7, न्यायालय या अधिकरण की पक्षकारों को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 37, जो मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की दसवीं अनुसूची के माध्यम से संशोधित है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के सुयोजन में नहीं हैं तथा ''पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर, मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवादों को निर्दिष्ट करेगा'' शब्दों के स्थान पर, उक्त उपबंध के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने के लिए ''मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवादों को निर्दिष्ट कर सकेगा'' शब्द रखे जाने आवश्यक हैं ।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यकता (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2023 है ।

(2) यह 13 अक्तूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा ।

2. मध्यकता अधिनियम, 2023 में,--

(क) धारा 32 में, उपधारा (4) में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर, ''अल्पकालिक सदस्य'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 51 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर, ''अल्पकालिक सदस्य'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अनुसूची 10 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के संशोधनों से संबंधित धारा 37 में, ''पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर, मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवादों को निर्दिष्ट करेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवादों को निर्दिष्ट कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए- 60011/45/2023-एडीआर]

डा. राजीव मणि, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

ORDER

New Delhi, the 13th October, 2023

S.O. 4506(E).—Whereas, the Mediation Act, 2023 (32 of 2023) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on the 14th September, 2023;

And, whereas, section 32 of the said Act provides for the composition of the Mediation Council of India;

And, whereas, clause *(o)* of section 3 of the said Act defines the term "Member" which means a Full-Time or Part-Time Member of the Council and includes the Chairperson;

And, whereas, sub-section (3) of section 32 of the said Act provides for prescribing rules in respect of salaries, allowances and other terms and conditions of Members;

And, whereas, sub-section (4) of section 32 and clause (b) of sub-section (2) of section 51 of the said Act provides for prescribing rules in respect of travelling and other allowances payable to the Member;

And, whereas, rules being made under sub-section (4) of section 32 of the said Act shall be applicable only to the Part-Time Members and allowances in respect of the Full-Time Members shall be covered under the rules being made under sub-section (3) of section 32 of the said Act;

And, whereas, it may cause confusion and difficulty, in notifying the rules for the travelling and other allowances payable to Part-Time Member of the Mediation Council of India under sub-section (4) of section 32 of the said Act unless the word "Member" is substituted with the words "Part-Time Member";

And, whereas, the Tenth Schedule to the said Act provides for amendments to the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

And, whereas, section 37 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) provides that District Commission or the State Commission or the National Commission, as the case may be, shall either on an application by the parties may refer the dispute for settlement by mediation under the Mediation Act, 2023 (32 of 2023);

And, whereas, section 7 of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023) provides for power of the court or tribunal to refer the parties to mediation and section 37 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), as amended through the Tenth Schedule of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023) is not in consonance with section 7 of the said Act and the words "shall either on an application by the parties" needs to be replaced with the word "may" to remove the difficulty in implementing the said provision.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Mediation Act, 2023, the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This order may be called the Mediation (Removal of Difficulties) Order, 2023.

(2) It shall come into force with effect from the 13th day of October, 2023.

2. In the Mediation Act, 2023,—

(a) in section 32, in sub-section (4), for the word "Member", the words "Part-Time Member" shall be substituted;

(b) in section 51, in sub-section (2), in clause (b), for the word "Member", the words "Part-Time Member" shall be substituted;

(c) n the Tenth Schedule, relating to amendments to the Consumer Protection Act, 2019, in section 37, for the words "shall either on an application by the parties", the word "may" shall be substituted.

[F. No. A-60011/45/2023-ADR]

DR. RAJIV MANI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.13 20:54:43 +05'30'